जिला खनन कार्यालय, जहानाबाद

मे. स्टारनेट मार्केटिंग प्रा० लि० बनाम राज्य सरकार

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, के द्वारा LPA-1084/2015 मे0 स्टारनेट मार्केटिंग प्रा0 लि0 बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-26.5.2015 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया है :-

It goes without saying that if the appellant contests the Matter of no dues certificate or demand made therein, the Collector would take an immediate decision in the matter giving reasons in support thereof within the period aforesaid so as not to deny an opportunity to the appellant to participate, if there are no dues.

उक्त पारित आदेश के आलोक में वादी को अपना पक्ष रखने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-699, दिनांक-05.06.2015 के द्वारा सुनवाई की तिथि 08.06.2015 निर्धारित करते हुए सुनवाई के समय अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

सुनवाई की तिथि 08.06.2015 को मे0 स्टारनेट के प्रतिनिधि अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई के समय खान निरीक्षक उपस्थित हुए। वादी के तरफ विद्वान अधिवक्ता तथा स्टारनेट के प्रतिनिधि को खान निरीक्षक की उपस्थिति में विस्तार पूर्वक सुना गया। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिला खनन कार्यालय जहानाबाद के पत्रांक-237 दिनांक-14.3.2015 के माध्यम से वर्ष 2011 एवं 2012 में बकाया रहने का जिक्र करते हुए भुगतान करने हेतु मॉग-पत्र भेजा गया है। वादी अपने उपर लगे बकाया भुगतान करने से इंकार करते हुए अपना जबाव जिला खनन कार्यालय जहानाबाद पत्रांक-251 दिनांक 29.3.2015 से पूर्व में भेजा है। विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से पुनः तथ्य कारण पृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि अधिसूचना संख्या-2438 दिनांक 31.2.09 में तीन वर्षीय (वर्ष 2010 से 2012 तक) बन्दोवस्ती का प्रावधान किया गया था। उक्त अधिसूचना के पारा 9(1) में उल्लेखित किया गया था कि चयनित निविदादाता को बन्दोवस्ती स्वीकृति के 30 दिनों के अन्दर बन्दोवस्ती का एकरारनामा वर्षवार कराना होगा। स्टाम्प डयूटी बन्दोवस्तीधारी द्वारा देय होगा। पंचाग वर्ष 2011 एवं